कार्यालय सूचना

विज्ञापन सं0– 02/2019

प्रधान सचिव, स्वा0चि0शि0 एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 156(HSN) दिनांक 02.07.18 एवं प्रशासी पदाधिकारी, रा0स्वा0मि0, नामकुम, राँची के पत्रांक 2430(RCH) दिनांक 10.08.18 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में विभिन्न कार्यक्रम अंतर्गत रिक्त स्वीकृत विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सा पदाधिकारी के पद एवं जिला स्वास्थ्य समिति, जामताड़ा अंतर्गत RNTCP कार्यक्रम के तहत रिक्त चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर अनुबंध आधारित नियुक्ति हेतु निम्न रूप से विज्ञापन प्रकाशित की जाती है :–

क्र0	पद का नाम	अर्हता एवं कार्यानुभव	रिक्त पदों की कुल सं0	उम्र सीमा	वेतनमान/मानदेय
1	चिकित्सा पदाधिकारी (एस0एन0सी0यू0)	MBBS or equivalent degree from institutions recognized by Medical Council of India	UR-1, ST-1, Total-02	अधिकतम 67 वर्ष	63000/प्रतिमाह
2	चिकित्सा पदाधिकारी (एन0बी0एस0यू0)	MBBS or equivalent degree from institutions recognized by Medical Council of India	UR-1, ST-1, Total-02	अधिकतम 67 वर्ष	63000 /प्रतिमाह
3	एस0एन0सी0यू0 विशेषज्ञ (शिशु रोग विशेषज्ञ)	MBBS with post graduate diploma from any MCI recognized institution in Pediatrics or MBBS with post graduate degree from any MCI recognized institution in Pediatrics.	UR-01	अधिकतम 67 वर्ष	105000 /प्रतिमाह
4	नेत्र रोग विशेषज्ञ (Opthalmologist, NPCB)	Essential Qualification: a) MS/MD in Ophthalmology (MCI recognized) with at least 1 year of experience after PG degree has been obtained. b) D.O.M.S. (MCI recognized) with 2 years experience after PG degree has been obtained. Desirable : • Trained in performing ECCE pc IOL and SICS. • Experience and the ability to work in district level hospitals. (Govt. of India)	UR-01	अधिकतम 67 वर्ष	105000 /प्रतिमाह
5	चिकित्सा पदाधिकारी (MO-DTC, RNTCP)	Essential Qualification: 1. MBBS or equivalent degree from institutions recognized by Medical Council of India; Must have completed compilsory rotatory internship.	UR-01	अधिकतम 67 वर्ष	63000/ प्रतिमाह

		Preferential Qualification : • Diploma/MD Public Health/ Tuberculosis & Chest diseases. • One year experience in RNTCP • Basic knowledge of computers			

विज्ञापन की शर्तें :—

1. संविदा के आधार पर चिकित्सा पदाधिकारी को कोई नियोजन नहीं होगा बल्कि स्वीकृत मानदेय के विरूद्ध उन्हें कार्य करने हेतु एक वर्ष के लिए अनुबंधित किया जायेगा। तीन माह उपरान्त कार्य की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। भविष्य में चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा नियमित नियुक्ति का दावा नहीं किया जायेगा।
2. उपरोक्त सभी पद हेतु जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर अनुमान्य होगा।
3. चयनित अभ्यार्थीयों द्वारा समर्पित सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन तीन माह के अंदर प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले संस्थान से कराया जायेगा। गलत पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
4. संविदा के आधार पर अनुबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
5. वैसे आवेदक जो सरकारी सेवा मे थे या नही थे एवं उनका उम्र 65 से अधिक है वे अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सलग्न करेगे।
6. वैसे अभ्यार्थी जो MBBS Internship कर रहे हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं, परन्तु योगदान के समय MBBS या Degree Certificate उपस्थापित करना पड़ेगा।
7. जो अभ्यार्थी शैक्षाणिक योग्यता के लिए CGPA स्कोर कार्ड प्रस्तुत कर रहे है वो मार्कशीट के साथ – साथ CGPA रूपातरण चार्ट भी प्रस्तुत करेगें।
8. जिला चयन समिति आवश्यकतानुसार विज्ञापन की शर्तों में आवश्यक संशोधन कर सकती है एवं विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
9. जिला चयन समिति द्वारा नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया में समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
10. नियुक्ति प्रक्रिया में झारखण्ड सरकार द्वारा लागु की गई आरक्षण निति का पालन किया जायेगा एवं आरक्षित श्रेणी अभ्यार्थी यथा– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग अनुमंडल पदाधिकारी/उपायुक्त द्वारा निर्गत की गई जाति प्रमाण संलग्न करेंगे।
11. एक से अधिक पदों के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र समर्पित किये जायेंगे।
12. नियुक्ति के संबंध में किसी भी व्यक्तिगत पत्राचार मान्य नहीं होगा।
13. अभ्यार्थियों की संख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा/अंतर्वीक्षा करने हेतु समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
14. इच्छुक अभ्यार्थी/चिकित्सक दिनांक 05.06.2019 को आयोजित अंतर्वीक्षा में पूर्वाह्न 11 बजे उपायुक्त, जामताड़ा के सभागार में अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, छायाप्रति एवं 02 पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

24/5/2019

सिविल सर्जन सह सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, जामताडा।

24/5/19

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, जामताडा।

ज्ञापांक 529 (DHS)/ जामताड़ा, दिनांक 24/05/2019 /

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित है कि दिनांक 24.05.19 तक उक्त विज्ञापन को दैनिक समाचार पत्रों पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित है कि उक्त विज्ञापन को एन0आई0सी0 के वेवसाइट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

24/5/19

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, जामताडा।

स्वस्थ झारखण्ड सुखी झारखण्ड

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION